न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 202/2020
निर्णय दिनांकः– 11.01.2021

उनवान

चन्द्रशेखर पुत्र लादूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रघुनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)
– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री बी0यू0 खान वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 20 ख0न0 138 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तथा आराजी खाता संख्या 26 ख0न0 156/27 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का बूंदी तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजी मे प्रार्िी का 1/2 हिस्सा है तथा मौके पर निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक आराजी है। हल्का पटवारी द्वारा फोती नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थी का नाम चंद्रशेखर के स्थान पर शेखर दर्ज कर दिया जबकि ग्राम बनेठा की आराजी खाता संख्या 92 मे प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे चंद्रशेखर सही दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड तथा अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मे सही नाम चंद्रशेखर ही दर्ज है। प्रार्थी को उक्त त्रूटी से आये दिन परेशानी का सामना करना पडता है तथा वह किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात जमाबन्दी खाता संख्या 20 ख0न0 138 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तथा आराजी खाता संख्या 26 ख0न0 156/27 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का बूंदी तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम शेखर के स्थान पर चंद्रशेखर अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उपलब्ध दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड , राशन कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र के आधार पर स्वीकार है। प्रकरण मे शेखर के स्थान चंद्रशेखर पुत्र लादू शुद्व किया जाना उचित है।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 20 वाके ग्राम रूघनाथपुरा ख0न0 138 रकबा 0.39 है0 व नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 26 वाके ग्राम रामनगर ख0न0 156 / 27 मे शेखर पुत्र लादू अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति आधार कार्ड,, राशन कार्ड व फोटो पहचान पत्र मे प्रार्थी न0 1 का नाम चरतलाल व जन आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम चंद्रशेखर अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 वाके ग्राम बनेठा खाता संख्या 92 मे भी प्रार्थी का नाम चन्द्रशेखरअंकित है।नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने जवाब मे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने मे अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 20 ख0न0 138 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तथा आराजी खाता संख्या 26 ख0न0 156 / 27 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का बूंदी तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम शेखर के स्थान पर चंद्रशेखर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री उर्जनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा